प्रेस विज्ञप्ति

03.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने 22.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के साथ-साथ चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। इससे पहले, ईडी ने 13.03.2024 को साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ अपनी पहली अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिसमें माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) द्वारा पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं।

ईडी ने पंजाब वन विभाग के कामकाज में पाई गई कई अनियमितताओं के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सतर्कता ब्यूरो, पंजाब द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि साधु सिंह धर्मसोत ने तत्कालीन पंजाब सरकार में वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खैर के पेड़ों की कटाई के लिए परमिट देने, वन विभाग में अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती करने और विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के बदले में भारी रिश्वत मांगी और स्वीकार की। अब तक की गई जाँच के आधार पर, यह स्थापित हो गया है कि धर्मसोत ने इस तरह के भ्रष्ट आचरण के माध्यम से 1.77 करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) अर्जित किए। इसके अलावा, आय से अधिक संपत्ति मामले में जाँच से पता चला कि साधु सिंह धर्मसोत ने 6.34 करोड़ रुपये की पीओसी अर्जित की। इस संबंध में, माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के समक्ष 14.03.2024 को अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि रेंज वन अधिकारी सुखविंदर सिंह और ब्लॉक अधिकारी मोहिंदरपाल सिंह ने 53.64 लाख रुपये की सरकारी धनराशि का गबन किया, जो बुढलाडा वन रेंज को प्रतिपूरक वनरोपण योजना के तहत ट्री गार्ड की खरीद के लिए आबंटित की गई थी। जाँच में पाया गया कि ट्री गार्ड की कोई खरीद नहीं की गई; इसके बजाय धनराशि अस्थायी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भेजी गई और बाद में नकद निकाल ली गई। इससे पहले, आरएफओ सुखविंदर सिंह की 53.64 लाख रुपये की संपत्ति भी ईडी द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी।

ईडी ने 30.11.2023 को विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली थी और 15.01.2024 को पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार भी किया था।

आगे की जाँच जारी है।